

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12420/2026

URN: CW / 3925U / 2026

1. Ragini Kumari Meena D/o Namonarayan Meena, Aged About 19 Years, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
2. Ajay Kumar Meena S/o Muniraj Meena, Aged About 20 Years, R/o Meena Nawadya, Tehsil Bamanwas, Post Jiwad, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Secretary, Department Of Home Affairs, And Justice, Secretariat Rajasthan, Ajmer.
2. Superintendent Of Police, Sawai Madhopur.
3. Station House Officer, Police Station Batoda, District Sawai Madhopur.
4. Namonarayan S/o Kishanlal, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
5. Smt. Birma W/o Namonarayan Meena, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
6. Premraj S/o Harphool, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
7. Kaluram S/o Harphool, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
8. Harkesh S/o Harphool, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
9. Lokesh S/o Kajodmal, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
10. Rinku S/o Kajodmal, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
11. Rakesh S/o Harkesh, R/o Batoda, Post Batoda, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Prasad Jogi Mr. Aryan Verma
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****16/07/2026**

कार्यालय आपत्ति संख्या-1 से 2 दूर करने के सम्बन्ध में याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

रिट याचिका के आधारों में आक्षेपों के सम्बन्ध में अभिकथन होने तथा थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजे गए प्रतिवेदन की प्रति तथा डाक रसीद की प्रति संलग्न होने के कारण कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप दूर किए जाने का आदेश दिया जाता है।

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 11 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत 3 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

याचीगण दोनों न्यायालय में उपस्थित हैं। दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार दोनों वयस्क हैं तथा वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोई भी पक्षकार पूर्व में कहीं अन्य विवाहित नहीं रहा है। उनके मध्य इस सम्बन्ध में इकरारनामा भी लेखबद्ध हुआ है, जिसकी प्रति पेश की गई है। याची संख्या-1 रागिनी की जन्मतिथि उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं की अंकतालिका की प्रति के अनुसार 06.03.2007 एवं याची संख्या-2 अजय कुमार की जन्म तिथि उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं की अंकतालिका की प्रति के अनुसार 19.04.2006 है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों से प्रकट हो रही है। अयाची संख्या-4 लगायत 11 इससे खुश नहीं हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं तथा याचीगण की जान एवं स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है। अतः उन्हें अयाची संख्या-4 लगायत 11 से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे। उनका यह भी कथन है कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनकी ओर से सम्बन्धित

थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निवेदन-पत्र/प्रतिवेदन परिशिष्ट-3 पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दिया है।

उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने इस प्रकार के मामलों में अयाचीगण को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि वे याचीगण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करें तथा अन्य वांछित समुचित कदम उठावें।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू-बनाम-कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा- बनाम-वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान-बनाम-असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी व निष्कर्ष दिए बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय यह उचित पाती है कि अयाची संख्या-1 लगायत 3 को यह निर्देश दिए जावें कि वे याचीगण की ओर से प्रेषित पत्र परिशिष्ट-3 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के सम्बन्ध में आकलन

के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

इसी अनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरुद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J